भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2598
उत्तर देने की तारीख 07 अगस्त, 2024

नो योर मोबाइल कनेक्शन योजना

2598. श्री गुरमीत सिंह मीत:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) डू नॉट डिस्टर्ब (डीएनडी) सेवा और 'नो योर मोबाइल कनेक्शन' योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उनके प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार टेलीमार्केटर्स और अन्य संस्थाओं द्वारा डीएनडी विनियमों के उल्लंघन के संबंध में किस प्रकार कार्रवाई करती है और उल्लंघनकर्ताओं को किस प्रकार दंडित करती है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख): संचार साथी पोर्टल (https://sancharsaathi.gov.in) पर उपलब्ध 'नो योर मोबाइल कनेक्शन' सुविधा के माध्यम से नागरिक उसके नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शन के बारे में जान सकता है। नागरिक प्रदर्शित मोबाइल नंबर की सूची में से 'मेरा नंबर नहीं' या 'आवश्यक नहीं' श्रेणियों के तहत किसी भी मोबाइल नंबर को रिपोर्ट कर सकता है। दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) सूचित किए गए ऐसे मोबाइल नंबरों का पुन: सत्यापन करते हैं और पुन: सत्यापन में विफल होने पर नंबर को बंद कर दिया जाता है। अब तक लगभग 40.6 लाख और 14.4 लाख मोबाइल कनेक्शन काट दिए गए हैं जिन्हें क्रमशः 'मेरा नंबर नहीं' और 'आवश्यक नहीं' बताया गया है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) पर अंकुश लगाने के लिए जारी दूरसंचार वाणिज्यिक संचार उपभोक्ता वरीयता विनियमन, 2018 (टीसीसीसीपीआर-2018), दूरसंचार उपभोक्ताओं को 'डू नॉट डिस्टर्ब (डीएनडी)' सेवा के लिए प्राथमिकता रजिस्टर में प्राथमिकताओं को पंजीकृत करने में सक्षम बनाता है। प्राथमिकताओं का पंजीकरण विभिन्न माध्यमों जैसे मोबाइल ऐप,

1909 पर एसएमएस भेज कर या कॉल द्वारा किया जा सकता है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 24 घंटे x 7 दिनों के आधार पर यह सुविधा उपभोक्ताओं को उपलब्ध करानी अपेक्षित है। अब तक करीब 22 करोड़ उपभोक्ताओं ने अपनी प्राथमिकताएं दर्ज कराई हैं। डीएनडी सेवा के प्रभावी प्रचालन के लिए निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए गए हैं:

(i) दूरसंचार विभाग द्वारा वाणिज्यिक कॉल करने के लिए टेलीमार्केटर्स (टीएम) को 140xxx श्रृंखला और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए सेवा और लेन-देन संबंधी वॉयस कॉल हेतु 160xxx श्रृंखला आवंटित की गई है।

(ii) ट्राई ने 13 जून, 2023 को सभी टीएसपी को यूसीसी भेजने में शामिल अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित प्रणाली स्थापित करने हेतु निर्देश जारी किए हैं।

(ग) टीसीसीसीपीआर-2018 में पंजीकृत टेलीमार्केटरों (आरटीएम) से अपने नेटवर्कों में अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) को रोकने में विफल रहने पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध वित्तीय निरूत्साहन (एफडी) लगाने का प्रावधान है। अब तक ट्राई ने आरटीएम से अपने नेटवर्क में यूसीसी को रोकने में विफल रहने के लिए टीएसपी पर लगभग 109 करोड़ रुपये का वित्तीय निरूत्साहन (एफडी) लगाया है। इसके अलावा टीएसपी को यूसीसी भेजने में शामिल यूटीएम के विरुद्ध कार्रवाई करना अपेक्षित है जैसे चेतावनी देना, उन्हें यूसेज कैप के तहत रखना या बार-बार उल्लंघन के मामले में डिस्कनेक्ट करना। टीएसपी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार यूसीसी भेजने के लिए वर्ष 2021 में 15,382 टेलीफोन, वर्ष 2022 में 32,032 टेलीफोन और वर्ष 2023 में 27,043 टेलीफोन को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है।

*****